कुंभा राम

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 2077/2011)

15 अक्टूबर, 2015

[आर. के. अग्रवाल और आर. भानुमती, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- एस. 378(1) और (3) - ट्रायल कोर्ट (फास्ट ट्रैक) द्वारा धारा 498ए, 3048 के तहत वैकल्पिक रूप से धारा 302/पीसी के तहत आरोपी को बरी करना - राज्य और अपीलकर्ता (मृतक के पिता) द्वारा छुट्टी के लिए आवेदन अपील और आपराधिक पुनरीक्षण - सामान्य आदेश द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए गए आवेदन - मृतक के पिता की अपील पर, माना गया: अपील की अनुमति देने से इनकार करते समय उच्च न्यायालय को कारण दर्ज करने की आवश्यकता होती है - वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय कारण दर्ज करने में विफल रहा अपील करने की अनुमति देने से इनकार करने के लिए - मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को अपील करने की अनुमति देनी चाहिए थी और उसके बाद सबूतों की फिर से सराहना करनी चाहिए थी और योग्यता के आधार पर अपने निष्कर्ष को स्वतंत्र रूप से दर्ज करना चाहिए था - उच्च न्यायालय को एफएसएल रिपोर्ट पर भी विचार करना चाहिए था उचित परिप्रेक्ष्य में क्योंकि ट्रायल कोर्ट का आदेश उस पर विचार किए बिना पारित किया गया था - भले ही राज्य अपील में नहीं आया है, न्याय के हित में, राज्य को भी अपील करने की अनुमति दी जाती है - मामला उच्च न्यायालय को भेजा गया-दंड संहिता,1860 - एसएस.498ए और 3048 वैकल्पिक रूप से धारा 302 के तहत।

न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया गया कि :

1.1 धारा 378 Cr.P.C की उप-धारा (3) इस शर्त पर रोक लगाती है कि किसी भी अपील पर विचार करने से पहले उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय को अनुमति से इनकार करते समय अनुमति से इनकार करने के कारणों का संकेत देना चाहिए।अपील करने की अनुमति से इनकार करने से अधिकार को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और इसलिए जब उच्च न्यायालय अपील करने की अनुमति देने से इनकार करता है तो कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है।[पैरा 8 और 9] [894-एफ-जी]

1.2 वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है। उच्च न्यायालय ने कोई कारण दर्ज नहीं किया है कि अपील करने की अनुमति क्यों अस्वीकार कर दी गई।तत्काल मामले में ऐसा कोई विवाद नहीं है कि शादी के सात साल के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृतक की मृत्यु हो गई हो।ऐसा प्रतीत होता है कि निचली निचली अदालत ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 1138 के तहत उठाए जाने वाले वैधानिक अनुमान के आलोक में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच नहीं की है। ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय को अपील करने की अनुमति देनी चाहिए थी और फिर साक्ष्य की पुनः सराहना करनी चाहिए थी और आरोपी के अपराध या अन्यथा के संबंध में स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष दर्ज करने चाहिए थे।उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति जाने के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं बताया है।विवादित आदेश बहुत गूढ़ है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और अपील के साथ-साथ पुनरीक्षण दोनों को खारिज कर दिया और इसलिए, विवादित आदेश को दरकिनार

किया जा सकता है और मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजा जा सकता है। यद्यपि राज्य ने इस अदालत के समक्ष कोई अपील नहीं की है, क्योंकि विवादित आदेश एक सामान्य आदेश है और न्यायाधीश के हित में राज्य को भी अपील करने की अनुमति देना उचित है।[पैरा 11] [896-एफ-एच; 897-ए-सी]

राजस्थान राज्य अन्य सोहन लाल और अन्य। (2004) 5 एससीसी 573:2004 (1) पूरक; एससीआर 480; उड़ीसा राज्य बनाम धनीराम लुहार (2004) 5 एससीसी 568:2004 (2) एस. सी. आर. 68-निर्भर।

2.फिर भी मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजने का एक और आधार यह है कि निचली निचली अदालत का फैसला 24.03.2009 पर दिया गया था और निचली निचली अदालत द्वारा मामले के निपटारे के बाद एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त की गई थी, जो आंत में ऑर्गेनो फॉस्फोरस कीटनाशक की उपस्थिति के लिए सकारात्मक परीक्षण दिखाती है।उच्च न्यायालय को एफ. एस. एल. रिपोर्ट पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए था और पहली अपील न्यायालय के रूप में उसे स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करनी चाहिए थी और अपने निष्कर्षों को निष्पक्ष रूप से दर्ज करना चाहिए था। [पैरा 12] [897-D-E]

दिनेश बनाम हरियाणा राज्य (2014) 12 SCC 532; राजिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2013) 15SCC 245:2013 (7) एस. सी. आर. 370; मंगला/बनाम राजस्थान और अन्र राज्य। (2001) 8 एससीसी 519:2001 (4)पूरक।एस. सी. आर. 392-उद्धृत।

केस लॉ रेफरेन्स

(2014) 12 धारा 532	उद्धृत	पैरा 5
2013 (7) एस. सी. आर. 370	उद्धृत	पैरा 5

2001 (4) पूरक।एस. सी. आर. 392	उद्धृत	पैरा 5
2004 (1) पूरक।एस. सी. आर. 480	पर निर्भर	पैरा 9
2004 (2) एस. सी. आर. 68	पर निर्भर	पैरा 10

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय : आपराधिक दाण्डिक अपीलीय सं 2077/2011

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के न्यायिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 584/2009 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 03.02.2010 से।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, टी. गोपाल, आदर्श कुमार। तिवारी, हेमेंद्र शर्मा, अधिवक्ता।, अपीलकर्ता के लिए।

महाबीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, जयंत भट्ट (एन. पी.), सुश्री रुचि कोहली, सुश्री प्रीति सिंह, गगन दीप शर्मा, निखिल जैन, मिस. मधुस्मिता बोरा, अधिवक्ता।, प्रत्यर्थीगण के लिए उसके साथ।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. भानुमति,जे. द्वारा पारित किया गया:-

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ द्वारा अपील की अनुमति आवेदन संख्या. 294/2009 और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या. 584/2009 में सामान्य आदेश दिनांक 03.02.2010 के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति के साथ-साथ पुनरीक्षण याचिका दोनों को अनुमति दिया है, जिससे सत्र मामले संख्या.71/2008 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक), बालोतरा द्वारा दिनांक 24.03.2009 के दोषमुक्ति के आदेश की पुष्टि हुई है, जिसमें आरोपी प्रत्यर्थीगण को भा.दं.सं. सी. की धारा 498ए, 3048 के तहत दंडनीय आरोपों से वैकल्पिक रूप से बरी कर दिया अनुमति था।

2. जिन तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के कारण यह अपील दायर की गई, वे इस प्रकार हैंः- दूसरे प्रतिवादी भंवर राम और अपीलार्थी की बेटी कमला (मृतक होने के कारण) की शादी 1 तारीख को संपन्न हुई और कमला कुछ समय के लिए अपने ससुराल में शांति से रही।आरोप है कि इसके कुछ ही समय फिर उसके ससुराल वालों में दहेज की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता करना शुरू कर दिया। 27.07.2008 पर, अपीलकर्ता ने अपने बेटे जेठा राम (पीडब्लू-5) को अपनी बेटी को वापस लाने के लिए भेजा और कमला को उसके माता-पिता के घर वापस लाया गया।फिर दो सप्ताह के भीतर यानी आई. डी. 1 पर प्रतिवादी संख्या 2 अपनी पत्नी (कमला) को वापस लेने के लिए अपीलकर्ता के घर आया।मृतक ने दूसरे उत्तरदाता को बताया कि वह पटवारियों की परीक्षा की तैयारी कर रही है और इसलिए वह जल्दी लौटने के लिए तैयार नहीं थी।उसी पर क्रोधित, प्रतिवादी संख्या 2 के बारे में कहा जाता है कि उसने कमला को पीटा और अपीलकर्ता को अपनी बेटी कमला को प्रतिवादी संख्या 2 के साथ 10.08.2008 पर भेजने के लिए मजबूर किया गया।11.08.2008 को कमला की उसके वैवाहिक घर में मृत्यु हो गई और उसका शव वहाँ एक तालाब में मिला और कमला के माता-पिता को उनकी बेटी की मृत्यु के बारे में पता चला।

3. दूसरे प्रतिवादी द्वारा पुलिस स्टेशन गीदा के समक्ष पंजीकृत कराई गई शिकायत पर, गीदा पुलिस स्टेशन में एक मामला पंजीकृत किया गया था क्योंकि कमला की मृत्यु शादी के सात साल के भीतर हुई थी।सहायक कलेक्टर और कार्यकारी मजिस्ट्रेट, बायातु द्वारा मृत्यु के कारण की जांच शुरू की गई थी और जांच रिपोर्ट निवेदन की गई थी जिसमें कहा गया था कि मृतक-कमला की मृत्यु पानी में डूबने से नहीं हुई है।उक्त रिपोर्ट के आधार पर भा.दं.सं. की धारा 498 ए और 304 बी के तहत मामला पंजीकृत किया गया और जांच शुरू की गई।जाँच पूरा होने के बाद, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की धारा 304 बी और 498 ए के तहत आरोप पत्र

दायर किया गया था। भंवर राम, देशराज राम, धूपुदेवी और देशराज की बेटी कमला Ram.4।निचली निचली अदालत से पहले अभियोजन पक्ष पंद्रह गवाहों से पूछताछ कर चुका है।निचली निचली अदालत ने अपने दिनांक 1 के निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी व्यक्तियों ने मृतक की मृत्यु से पहले दहेज की मांग के संबंध में उसे परेशान किया था और इस बात का कोई चिकित्सा साक्ष्य नहीं है कि मृतक कमला की मृत्यु कैसे हुई।इस प्रकार निचली निचली अदालत ने सभी अभियुक्तों/प्रत्यर्थीगण को भा.दं.सं. सी. की धारा 498ए, 304बी के तहत सभी आरोपों में बरी कर दिया और उन्हें संदेह का लाभ दिया।दोषमुक्ति जाने के आदेश से व्यथित होकर, राज्य और मृतक के पिता खुम्भा राम ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने और आपराधिक पुनरीक्षण के लिए अनुमति को प्राथमिकता दी, जिसने विवादित आदेश के माध्यम से राज्य की अपील करने की अनुमति और अपीलार्थी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।पीड़ित होने के कारण मृतक के पिता ने यह अपील की है।

5. अपीलकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने निवेदन कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य और इस तथ्य की अच्छी तरह से सराहना किए बिना अपील को खारिज करने में गलती की कि निचली निचली अदालत ने घटना के छह महीने के भीतर न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर से एफ. एस. एल. रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना तेजी से मुकदमा पूरा किया, जो निर्णय के लगभग बीस दिन बाद आया था।यह निवेदन गया था कि एफ. एस. एल. रिपोर्ट दिनांक 04.09.2008 से पता चलता है कि मृतक के विसरा के नमूनों ने ऑर्गेनो फॉस्फोरस कीटनाशक की उपस्थिति के लिए सकारात्मक परीक्षण दिया और उच्च न्यायालय ने एफ. एस. एल. रिपोर्ट को खारिज करने में गलती की।यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता सहित अपीलकर्ता के परिवार के लगभग सभी सात गवाहों ने दहेज की मांग के संबंध में मृतक को हुए उत्पीड़न के बारे

में लगातार कहा है और शादी के सात वर्षों के भीतर मृतक की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और निचली निचली अदालत और उच्च न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत कानूनी रूप से वैधानिक अनुमान लगाना चाहिए था। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने दिनेश बनाम हरियाणा राज्य, (2014) 12 एस. सी. सी. 532; राजिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 15 एस. सी. सी. 245 और मंगला बनाम राजस्थान राज्य और ए. एन. आर. मामले में इस अदालत के निर्णय पर भरोसा किया। (2001) 8 एससीसी

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महाबीर सिंह ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ था कि कमला को 'उसकी मृत्यु से तुरंत पहले' किसी भी प्रकार की दहेज की मांग के लिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था और निचली निचली अदालत ने उत्तरदाता संख्या 2 से 5 को इस निष्कर्ष पर सही ढंग से बरी कर दिया है कि यह साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया था कि मृत्यु की तारीख से ठीक पहले-मृतक-कमला को दहेज की मांग के संबंध में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, जोधपुर द्वारा दी गई एफएसएल रिपोर्ट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, जिसमें कहा अनुमति है कि "कोई राय नहीं दी जा सकती", प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन कि आरोपों को स्थापित करने के लिए किसी भी ठोस साक्ष्य की अनुपस्थिति में में उच्च न्यायालय ने अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

7. हमने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और विवादित आदेश और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।

8. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 दोषमुक्ति की स्थिति में अनुमति की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। धारा 378 दं.प्र.सं. की उप-धारा (1) और (3).-

> "378. दोषमुक्ति की स्थिति में अपील करें।- (1) उप-धारा (2) में अन्यथा उपबंधित और उप-धारा (3) और (5) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, -
>
> (क) ...
>
> (ख) राज्य सरकार, किसी भी मामले में लोक अभियोजक को उच्च अदालत के अलावा किसी अन्य अदालत द्वारा दोषमुक्ति जाने के मूल या अपीलीय आदेश या सत्र अदालत द्वारा पुनरीक्षण में दोषमुक्ति जाने के आदेश के खिलाफ उच्च अदालत में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है।
>
> (3) उच्च न्यायालय की अनुमति के अलावा, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।"

धारा 378 Cr.P.C की उप-धारा (3). किसी भी अपील पर विचार करने से पहले उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने की शर्त लगाकर अपीलों पर विचार करने पर प्रतिबंध लगाती है।

9. उच्च न्यायालय को अनुमति से इनकार करते समय अनुमति से इनकार करने के कारणों का संकेत देना चाहिए। के खिलाफ अपील करने की अनुमति से इनकार करने से अधिकार को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और इसलिए जब उच्च न्यायालय अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर देता है तो कारणों को

दर्ज करने की आवश्यकता होती है।राजस्थान राज्य बनाम सोहन लाल और अन्य, (2004) 5 एस. सी. सी. 573 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः-

> " ..... राज्य किसी आपराधिक मामले को चलाने या संचालित आदेश या अपील आदेश में अपने किसी भी अधिकार का समर्थन नहीं करता है, लेकिन कानून के शासन को बनाए रखते हुए समाज में व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता को रोकने के लिए अपराधों और अपराधियों को क्रमशः पुनरावृत्ति को रोकने के साथ-साथ दंडित आदेश के लिए बड़े पैमाने पर समाज के उद्देश्य को सही ठहराता है।अपील करने की अनुमति मांगने का प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि निश्चित रूप से दोषमुक्ति के आदेशों के खिलाफ कोई तुच्छ अपील दायर नहीं की अनुमति , लेकिन यह उच्च न्यायालय को केवल गुप्त या तैयार टिप्पणियों द्वारा अनुमति देने से यांत्रिक रूप से इनकार करने में सक्षम नहीं बनाता है, जैसा कि इस मामले में ("अदालत को कोई त्रुटि नहीं मिलती है"), इसके आगे, जो भी हो, मन के किसी भी आवेदन का संकेत नहीं है।इससे भी अधिक, जब उच्च न्यायालय के आदेश इस अदालत के समक्ष आगे चुनौती देने के लिए उत्तरदायी होते हैं।इस तरह की अनुष्ठानिक टिप्पणियों और संक्षिप्त निपटान, जो कभी-कभी, और इस मामले में अपील के वैधानिक अधिकार को पूर्ववत करने का प्रभाव डालते हैं, हालांकि एक विनियमित है, को अदालतों के समक्ष दावे का विवेकपूर्ण ढंग से निपटान करने का उचित और न्यायिक तरीका नहीं कहा जा सकता है।किसी निर्णय के लिए कारण देना अदालतों के समक्ष किसी मामले के न्यायिक और विवेकपूर्ण निपटारे का एक आवश्यक गुण है, और

जो किए गए अभ्यास के तरीके और गुणवत्ता के बारे में जानने का एकमात्र संकेत है, साथ ही यह भी तथ्य कि संबंधित अदालत ने वास्तव में अपना दिमाग लगाया था।इससे भी अधिक, जब अपील करने की अनुमति से इनकार करने से निचली निचली अदालत के निर्णय की जांच के लिए एक बार और हमेशा के लिए गुंजाइश समाप्त हो अनुमति , यहां तक कि पहली अपील न्यायालय के कहने पर भी।हमारे विचार में अपील करने की अनुमति देने से इनकार करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा किए अनुमति निष्कर्ष के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता का इस तथ्य से कोई लेना-देना नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत परिकल्पित अपील अदालत से अनुमति लेने और प्राप्त करने के लिए सशर्त है।इस अदालत ने बार-बार यह निर्धारित किया है कि प्रथम अपील न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय , दोषमुक्ति जाने के खिलाफ अपील द्वारा विचार करते समय भी, पूरे साक्ष्य की जांच करने और आवश्यकता पड़ने द्वारा पुनः मूल्यांकन करने का हकदार था, और साथ ही बाध्य भी था, हालांकि केवल हस्तक्षेप करने का विकल्प चुनते समय अदालत को रिकॉर्ड द्वारा साक्ष्य के आधार द्वारा अद्वाराधा का आत्यन्तिक आश्वासन मिलना चाहिए, न कि केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय केवल एक और संभव या अलग दृष्टिकोण ले सकता है।उपरोक्त को छोड़कर, जहां अपील पर विचार करने की सीमा और गहराई का संबंध है, किसी अपील पर विचार करने में कोई अंतर या दृष्टिकोण में अंतर की परिकल्पना नहीं की गई है क्योंकि केवल एक दोषमुक्ति के खिलाफ था या दूसरा बरी होने के खिलाफ था।

10. इसी विचार को व्यक्त करते हुए, उड़ीसा राज्य बनाम धनीराम लुहार, (2004) 5 एस. सी. सी. 568 में इस अदालत ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

> ".....कारण एक आदेश में स्पष्टता का परिचय देते हैं। न्यायाधीश पर स्पष्ट रूप से विचार करने पर, उच्च न्यायालय को अपने कारणों को निर्धारित करना चाहिए था, चाहे वह अपने आदेश में कितना भी संक्षिप्त हो, अपने दिमाग के अनुप्रयोग का संकेत देता है; और भी अधिक जब उसका आदेश चुनौती के आगे के अवसर के लिए उत्तरदायी हो।कारणों की अनुपस्थिति में ने उच्च न्यायालय के आदेश को टिकाऊ नहीं बना दिया है।"

11. उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर, वर्तमान मामले पर विचार करते हुए, हमारे विचार में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है।उच्च न्यायालय ने कोई कारण दर्ज नहीं किया है कि अपील करने की अनुमति क्यों अस्वीकार कर दी गई।तत्काल मामले में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मृतक-कमला की शादी के सात साल के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।ऐसा प्रतीत होता है कि निचली निचली अदालत के निर्णय के अवलोकन से, निचली निचली अदालत ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 1138 के तहत उठाए जाने वाले वैधानिक अनुमान के आलोक में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच नहीं की है। ऐसी परिस्थितियों में उच्च अदालत को अपील करने की अनुमति देनी चाहिए थी और फिर साक्ष्य की फिर से सराहना करनी चाहिए थी और आरोपी के अपराध या अन्यथा के संबंध में स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष दर्ज करने चाहिए थे। उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति जाने के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं बताया है। विवादित आदेश बहुत गूढ़ है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और अपील के साथ-साथ पुनरीक्षण दोनों को खारिज कर दिया

और हमारे विचार में विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है और मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजा जा सकता है। भले ही राजस्थान राज्य ने इस अदालत के समक्ष कोई अपील नहीं की है, क्योंकि विवादित आदेश एक सामान्य आदेश है और न्यायाधीश के हित में हम राज्य को भी अपील करने की अनुमति देना उचित समझते हैं।

12. मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजने के लिए एक और आधार ध्यान देने योग्य है। ट्रायल निचली अदालत का निर्णय 24.03.2009 पर दिया गया था और क्षेत्रीय राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर से ट्रायल निचली अदालत द्वारा मामले के निपटारे के बाद प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट दिनांक 16.04.2009 (एसएलपी पेपर बुक में अनुलग्नक पी-2), विसरा में ऑर्गेनो फॉस्फोरस कीटनाशक की उपस्थिति के लिए सकारात्मक परीक्षण दिखाती है। हमारे विचार में उच्च न्यायालय को एफ. एस. एल. रिपोर्ट पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए था और पहली अपील न्यायालय के रूप में उसे स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करनी चाहिए थी और अपने निष्कर्षों को निष्पक्ष रूप से दर्ज करना चाहिए था।

13. नतीजतन, मामले के गुण -दोष पर टिप्पणी किए बिना, विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और अपील करने की अनुमति दी अनुमति ।राज्य द्वारा दायर अपील के साथ-साथ अपीलार्थी- कुंभ राम द्वारा दायर आमें ाधिक पुनरीक्षण को उच्च न्यायालय की फाइल में लिया जाएगा और दोनों पक्षों को में ्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद, उच्च न्यायालय कानून के अनुसार इसका निपटारा करेगा। अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील को मंजूरी दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक माना होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।